कार्यालय : निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को स0अ0(प्राथमिक) की पंचम काउन्सिलिंग हेतु निर्देश

जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौडी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोडा, चम्पावत एवं पिथौरागढ की पात्रता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि **दिनांक 20 दिसम्बर, 2024** को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, देहरादून में प्रातः 10 बजे से सम्पादित होने वाली सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की पंचम काउन्सिलिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
2. अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
3. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सार्टिफिकेट (यदि सेवाकाल में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण किया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति)।
5. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र मूल प्रति।
6. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. शिक्षा मित्रों के लिए शिक्षण अनुश्रवण का प्रतिवर्ष 01 अंक तथा अधिकतम 12 अंक अधिभार दिया जायेगा।
8. उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 संख्या 164/XXX–2/19–01(17)/2012 देहरादून दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रख्यापित ''उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019'' के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बंधित अभिलेख की मूल प्रति।
9. वर्ष 2018 एवं 2020 के डी0एल0एड0 आवेदनकर्ता, जो पूर्व में चयनित नहीं हुए है, तथा जिन्हें पूर्व आवेदन के अनुसार वर्तमान प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है, के चयनित होने की दशा में समान पद पर पूर्व से कार्यरत न होने सम्बंधी शपथ पत्र।
10. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर अन्य राज्य से सम्बंधित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बंधित विवाह प्रमाण का शपथ पत्र। (शासनादेश संख्या–254/कार्मिक–2/2002 दिनांक 10–10–2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।)
11. अभ्यर्थी समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति दो–दो प्रतियों में फाइल कवर में संलग्न कर काउन्सिलिंग तिथि को साथ लेकर उपस्थित होंगे।
12. पंचम काउन्सिलिंग हेतु रिक्त पदों की सीमा से अधिक अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की गई है काउन्सिलिंग तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थित के उपरान्त ही विषयवार, श्रेणीवार, एवं वर्गवार अंतिम चयनित सूची तैयार की जायेगी।
13. अभ्यर्थी का चयन काउन्सिलिंग के आधार पर जिस जनपद में होता है तो उसका नाम अन्य जनपदों की पात्रता सूची से पृथक कर दिया जायेगा।
14. काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने मात्र से चयन/नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशित पात्र अभ्यर्थियों की सूची में जिन अभ्यर्थियों की मेरिट उसी वर्ग विषय और श्रेणी में अधिक हो तो ऐसे अभ्यर्थी अपने शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त अभिलेखों सहित उक्त निर्धारित तिथि को स्वयं सम्बन्धित जनपद की चयन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी के भविष्य में किसी भी प्रकार के दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा